

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1977}

{उत्तर विधान सभा ने दिनांक 13.07.1977 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15.07.1977 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय दिनांक 23.07.1977 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट, के विधायी परिशिष्ट के भाग 1 खण्ड (क) में दिनांक 23.07.1977 को प्रकाशित हुआ।}

भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों, सीमान्त कृषकों, लघु कृषकों और शहरी मजदूरों को ऋणभार से अनुतोष की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977 कहा जायेगा।
और

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 21 फरवरी, 1977 में प्रवृत्त समझा जायेगा।

2— इस अधिनियम में—

(1) किसी ऋणी या लघु कृषक के सम्बन्ध में “वार्षिक पारिवारिक आय” का तात्पर्य वर्ष 1976 में उसके कुटुम्ब के समस्त सदस्यों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय के योग से है;

(2) “अपील अधिकारी” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(3) “सिविल न्यायालय” के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

(ख) संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत;

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

(4) “लेनदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे या जिसके संबंध में किसी ऋणी या लघु कृषक ने कोई ऋण लिया हो या उपगत किया हो और इसमें ऐसे व्यक्ति के दायद [या समनुदेशित]² भी सम्मिलित है;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 11.07.1977 का सरकारी असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग 3 खण्ड (क) देखिये।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 2 (क) द्वारा अन्तःस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

2}

(5) “ऋण” में किसी लेनदार के प्रति नकद या वस्तु रूप में प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऐसा समस्त दायित्व भी सम्मिलित है, जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन या अन्य प्रकार से किसी ऋणी या लघु कृषक द्वारा देया हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान हो, चाहे वह शोध्य हो या नहीं;

(6) “ऋणी” का तात्पर्य ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी या शहरी मजदूर से है, जिस पर कोई ऋण बाकी हो, किन्तु इसमें कोई लघु कृषक सम्मिलित नहीं है;

संक्षिप्त नाम, विस्तार
प्रारम्भ

परिभाषाएं

{धारा

(7) किसी ऋणी के संबंध में “कुटुम्ब” का तात्पर्य ऋणी, या उस ऋणी की पत्नी या, यथास्थिति, उसका पति और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क अपत्यों से है;

(8) “भूमिहीन कृषि श्रमिक” का तात्पर्य [किसी ग्राम में निवास करने वाले] उस व्यक्ति से है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई भूमि न हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो मजदूरी पर, चाहे उसका भुगतान नकद या वस्तु रूप में या अंशतः नकद या अंशतः उपजीविका में लगा हो, अर्थात्—

(क) कृषि कार्य, जिसमें खेती करना और भूमि को जोतना भी सम्मिलित है;

(ख) दुग्धशाला उद्योग;

(ग) किसी उद्यानीय पदार्थ का उत्पादन, खेती, उगाई और कटाई;

(घ) पशुधन, मधुमक्खी या कुक्कट पालन; और

(ङ) किसी फार्म पर खेती की क्रियाओं (जिसमें जंगलाती या काठबन्दी क्रियायें सम्मिलित हैं) से आनुषंगिक या सम्बद्ध रूप में किया गया कोई कार्य और फार्म की उपज को बाजार के लिये तैयारी और कोल्ड स्टोरेज या अन्य भाण्डागार या बाजार या परिवहन के लिये वाहन की सुपुर्दगी;

(9) “सीमान्त कृषक” का तात्पर्य किसी ग्राम में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर एक हेक्टेयर असिंचित भूमि से, अनधिक कृषि भूमि हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है;

(10) “ग्रामीण शिल्पी” का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई कृषि भूमि न हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन निम्नलिखित से सम्बन्धित शारीरिक श्रम है:—

(क) कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले परम्परागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या उनकी मरम्मत; या

(ख) अपने ही श्रम से या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम से कोई अन्य शिल्पकर्म;

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 2 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}
2-3}

{धारा

(11) “लघु कृषक” का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर एक हेक्टेयर से अधिक किन्तु दो हेक्टेयर से अनधिक असिंचित भूमि हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है;

(12) “शहरी मजदूर” का तात्पर्य किसी ऐसी व्यक्ति से है, —

(क) जो किसी गांव में निवास न करता है; और

(ख) जिसके कुटुम्ब के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई यथावर सम्पत्ति न हो; और

(ग) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्ब के सदस्य का शारीरिक श्रम है (जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है) और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है, किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जिस पर—

(एक) 31 मार्च, 1975 और 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले दोनों वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आय कर निर्धारित किया गया है;

(दो) 31 मार्च, 1975 और 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले दोनों वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्री-कर निर्धारित किया गया है।

(13) "गांव" का वही अर्थ होगा, जो उसके लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का धारा 3 के खण्ड (25) में दिया गया है।

स्पष्टीकरण-एक- खण्ड (7) के प्रयोजनार्थ "अवयस्क" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने अपनी आयु के अट्ठारह वर्ष पूरे न किये हों।

स्पष्टीकरण-दो- खण्ड (9) और (11) के प्रयोजनों के लिये एक हैक्टर सिंचित भूमि दो हैक्टर असिंचित भूमि के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण-तीन- पद "सिंचित भूमि" और "असिंचित भूमि" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में दिये गये हैं।

{स्पष्टीकरण-चार- जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी सम्पत्ति का अन्तरण किया हो और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन ऐसे अन्तरण के अभिशून्यन के लिए कोई कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन हो, वहां इस प्रश्न का कि अन्तरक सीमान्त कृषक है या लघु कृषक, अवधारण ऐसी कार्यवाही में दिये गये अन्तिम आदेश पर विचार करने के पश्चात् ही किया जायगा।}

3— एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

अध्याय दो

ऋणी को अनुतोष

4— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी संविदा, डिक्री या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुये भी और इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से किये गये उक्त उपबन्ध के सिवाय —

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो हजार चार सौ रुपये से अधिक न हो, देय प्रत्येक ऋण व्याज सहित, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पूरी तौर से उन्मोचित समझा जायगा;

{(ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, देय प्रत्येक ऋण पूरी तौर से उन्मोचित हो जायगा, यदि ऋणी—

(एक) अपना ऋण चुकाने में, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी समय ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि की दुगुनी धनराशि का भुगतान कर चुका है और ऐसा उन्मोचन ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगा;

(दो) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् ऐसी धनराशि का, जो ऐसा ऋण चुकाने में पहले ही दी गयी किसी राशि को मिलाकर ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि के दुगुने के बराबर या उससे अधिक है, या वास्तव में देय धनराशि का, जो भी कम हो, भुगतान करता है और ऐसा उन्मोचन ऐसे भुगतान के दिनांक से प्रभावी होगा।}

घोषणा

{धारा 4-5}

ऋण चुकाना

स्पष्टीकरण— इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई ऋणी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसके द्वारा भुगतान किये गये या उससे वसूल किये गये ऋण के किसी भाग की वापसी का हकदार होगा।

5— जहां किसी ऋणी द्वारा देय कोई ऋण धारा 4 के अधीन उन्मोचित हो गया हो, का

ऋण चुकता होने

वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, डिक्री या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार उन्मोचन के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

परिणाम

(क) कोई ऐसा ऋण ऋणी से या उसकी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से या उसके विरुद्ध वसूली योग्य नहीं होगा और न तो किसी ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे ऋण से संबंधित किसी डिक्री का आदेश के निष्पादन में किसी प्रकार की कुर्की, विक्रय या कार्यवाही के लिये दायित्व होगा;

(ख) कोई सिविल न्यायालय किसी ऋण की, जिसमें ब्याज भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, वसूली के लिये ऐसे ऋणी के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा :

{परन्तु—

(एक) जहां कोई वाद या कार्यवाही ऐसी ऋणी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप संस्थित की जाय, वहां इस खण्ड की कोई वाद और वाद या कार्यवाही, जहां तक उनका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, के अनुरक्षण के संबंध में लागू न होगी;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

{धारा

6}

(दो) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व और पश्चात् दिये गये ऋण के संबंध में संयुक्त रूप से कोई वाद किसी ऋणी के विरुद्ध संस्थित किया जाय, वहां इस खण्ड की कोई बात, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् दिये गये ऋण के संबंध में वाद के अनुरक्षण पर लागू नहीं होगी;}

(ग) ऐसे ऋणी के विरुद्ध किसी ऐसे ऋणी की वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर लंबित समस्त वाद और कार्यवाही, जिसमें अपील, पुनरीक्षण, कुर्की या निष्पादन की कार्यवाहियां भी सम्मिलित है, उपसमिति हो जायेगी :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात—

(एक) किसी ऐसे जंगम सम्पत्ति के विक्रय पर, जिसका आयोजन और उपसंहार ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो, या

(दो) किसी ऐसे स्थावर सम्पत्ति के विक्रय पर, जिसकी पुष्टि ऐसे प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो, लागू न होगी :

{परन्तु यह और कि खण्ड (ख) का परन्तुक यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस खण्ड में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह उस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही पर लागू होता है;}

(घ) प्रत्येक ऋणी, जो किसी ऐसे ऋण के संबंध में दी गयी किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हो, परन्तु छोड़ दिया जायेगा;

(ङ) किसी ऋणी द्वारा गिरवी रखी गयी प्रत्येक जंगम सम्पत्ति, ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायेगी और लेनदार {***} उसे ऋणी को वापस करने के लिये बाध्य होगा;

{(च) किसी ऋणी द्वारा निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के प्रत्येक बंधक का मोचन हो जायेगा और बंधक—ग्रस्त सम्पत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जायेगी।}

6— (1) धारा 5 के खण्ड (ङ) में निष्पादित निर्दिष्ट प्रत्येक लेनदार ऐसी अवधि के आदि

लेनदार द्वारा विवरण

भीतर, जो विहित की जाय, उस क्षेत्र पर, जहां लेनदार के कारवार का सामान्य स्थान हो, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्रपत्र में, जो विहित किया जाय, विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने उसके पास जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी हो, ऐसे सम्पत्ति का स्वरूप व वर्णन उधार दी गयी और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर देय धनराशि, ब्याज की दर और ऐसे अन्य ब्यौरे समाविष्ट होंगे, जो विहित किये जायें।

(2) धारा 5 के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट ऋणी भी अपने द्वारा गिरवी रखी गयी जंगम सम्पत्ति के वापसी के लिये उस क्षेत्र पर, जहां उसके लेनदार के कारवार का सामान्य स्थान हो, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को आवेदन पत्र दे सकता है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

{धारा

6}

(3) उपधारा (1) के अधीन विवरण-पत्र या उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् तहसीलदार इस बात का अवधारण आदेश द्वारा करेगा कि, —

(एक) जहां उपधारा (1) के अधीन लेनदार द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहां उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने लेनदार के पास जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी है, कौन व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुतोष के हकदार है; और

(दो) जहां उपधारा (2) के अधीन ऋणी द्वारा आवेदन-पत्र दिया गया हो, वहां क्या ऋणी धारा 5 के अधीन अनुतोष का हकदार है;

और लेनदार को आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर उसके पूर्व ऐसे ऋणी द्वारा गिरवी रखी गयी जंगम सम्पत्ति को प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(4) जहां ऋणी द्वारा गिरवी रखी गयी जंगम सम्पत्ति लेनदार के किसी अन्तरिती के कब्जे में हो, वहां लेनदार ऐसे अन्तरिती के उक्त सम्पत्ति का मोचन करेगा और उसे उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि लेनदार उपधारा (3) के आदेश में यथा निदेशित जंगम सम्पत्ति को प्रस्तुत करने में विफल रहा है तो —

(क) तहसील दार लेनदार के या लेनदार के अन्तरिती के, जो धारा 25 के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्दिष्ट बैंक में भिन्न हो, परिसर में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और उक्त सम्पत्ति का अभिग्रहण कर सकता है; और

(ख) जहां उक्त जंगम सम्पत्ति धारा 25 के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) निर्दिष्ट किसी बैंक के कब्जे में हो, वहां तहसीलदार —

(एक) आदेश द्वारा, उक्त बैंक को निदेश देगा कि आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व तहसीलदार के पास उक्त जंगम सम्पत्ति, ऐसे विवरण-पत्र सहित, जिसमें उक्त सम्पत्ति के संबंध में उक्त संस्था को देय राशि का विनिर्देश होगा, जमा की जाय और साथ ही साथ उक्त बैंक को इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि उक्त बैंक सम्पत्ति के संबंध में उक्त बैंक को देय राशि को लेनदार से इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो और उक्त बैंक को अदा किया जायेगा; और

(दो) उक्त बैंक द्वारा तहसीलदार के पास उक्त सम्पत्ति जमा करने पर, जंगम सम्पत्ति की प्राप्ति लिखित रूप में स्वीकार करेगा और लेनदार से ऐसी राशि को वसूल करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा, जो उक्त बैंक को उक्त सम्पत्ति के संबंध में देय हो, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो और ऐसी वसूली पर उसका भुगतान उक्त बैंक को करेगा।

(6) गिरवी रखी गयी सम्पत्ति के इस प्रकार प्रस्तुत या वसूल या जमा किये जाने के पश्चात् तहसीलदार उक्त सम्पत्ति ऋणी को दे देगा।

(7) उपधारा (3) के अधीन मामले का अवधारण लंबित रहने तक, कोई लेनदार या लेनदार का अन्तरिती, ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई कोई जंगम सम्पत्ति न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न अन्य प्रकार से निस्तारित करेगा।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

{धारा 6क-7}

(8) उपधारा (5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार—

(क) लेनदार के या लेनदार के अन्तरिती के, जो धारा 25 के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्दिष्ट बैंक से भिन्न हो, परिसर में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्रबन्ध कर सकता है;

(ख) इस बात का अवधारण कराने की कार्यवाही करेगा कि इस प्रकार अधिग्रहण की गई कौन सी जंगम सम्पत्ति ऋणी को निर्मुक्त की जाय और तदनुसार आदेश देगा।

(9) तलाशी लेने और अधिग्रहण करने से सम्बंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 और 165 के उपबंध यथासंभव, उपधारा (5) और (8) के अधीन तलाशी लिए जाने और अभिग्रहण करने के संबंध में लागू होंगे।

{6-क— (1) धारा 5 के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट ऋणी बन्धक—ग्रस्त सम्पत्ति को निर्मुक्त

स्थावर सम्पत्ति का

प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र में, उसमें ऐसा ऋणी साधारणतया निवास करता हो, अधिकारिता रखने वाले ऋण परिशोधन अधिकारी को आवेदन—पत्र दे सकता है।

किया जाना

(2) (क) ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् ऋण परिशोधन अधिकारी बंधक ग्रस्त सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश देगा और विहित प्रपत्र में मोचन प्रमाण—पत्र देगा, जो किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसे मोचन के साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा;

(ख) ऋण परिशोधन अधिकारी लेनदार या लेनदार के अन्तरिती को—

(एक) आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व ऋणी को बन्धक—ग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा देने का निदेश भी देगा, यदि बन्धक—ग्रस्त सम्पत्ति ऋणी के कब्जे में पहले से न हो; और

(दो) आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व बन्धक विलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी निदेश देगा और ऋणी परिशोधन अधिकारी बन्धक विलेख या अन्य दस्तावेज पर मोचन का पृष्ठांकन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश के लिए कार्यवाही लंबित रहने तक कोई लेनदार या लेनदार का अन्तरिती ऋणी द्वारा बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में न तो अपने हित का अन्तरण या अन्यथा समनुदेशन करेगा और न अपने पुरोवन्ध अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(4) जहां लेनदार द्वारा किसी बैंक को बन्धक—ग्रस्त सम्पत्ति अन्तरित कर दी गई हो या बन्धक—ग्रस्त सम्पत्ति में कोई अधिकार समुदेशित किया गया हो, वहां ऋण परिशोधन अधिकारी लेनदार से ऐसी धनराशि, जो उक्त बन्धक—ग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में ऐसे बैंक को देय हो, उसी प्रकार वसूल करेगा मानो वह भू—राजस्व का कोई बकाया हो, और उसे उक्त बैंक को देगा।¹

7— धारा 6 के अधीन तहसीलदार का प्रत्येक आदेश, धारा 8 के अन्तर्गत अपील के आदेश का

तहसीलदार के

अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा और किस न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

अन्तिम होना

1. उपधारा 2 संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977} {धारा 8-11}

8— (1) धारा 6 के अधीन तहसीलदार द्वारा {या धारा 6-क के अधीन ऋण परिशोधन आदेश के अधिकारी द्वारा}¹ दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति अपील

तहसीलदार के

विरुद्ध

से, जो विहित की जाय, अपील अधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील का विनिश्चय करने में अपील अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाय और ऐसी अपील पर ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

9— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऋणी द्वारा देय किसी ऋण के संबंध में उपबन्ध

ब्याज संबंधी विशेष

कोई ब्याज नहीं लगाया जायगा।

(2) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व का किसी अवधि के लिये किसी ऋण पर देय ब्याज की गणना उक्त ऋण पर किसी विधि, रूढ़ि या संविदा के अधीन लागू दर से, या छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, जो भी कम हो, की जायगी और समस्त धनराशि को जो अदा या जमा की जाय, प्रथमतः ब्याज की मद में और शेष को, यदि कोई हों, मूलधन की मद में जमा किया जायगा।

अध्याय — तीन

लघु कृषकों से वसूल किये जाने योग्य ऋण का अधिस्थगन

10— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी लघु कृषक द्वारा देय किसी वसूली

कतिपय ऋण की

ऋण या उसके भाग की, जिसमें उसका ब्याज भी सम्मिलित है, वसूली के लिए ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उसके विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसे अनुतोष के लिए पहले से लम्बित प्रत्येक वाद ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये स्थगित रहेगा।

का स्थगन

(2) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उपगत दायित्व के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन के लिये किसी डिक्री के निष्पादन में सभी कार्यवाहियां या पुरोबन्ध या विक्रय के लिये किसी प्रारम्भिक डिक्री को अन्तिम रूप देने की कार्यवाहियां या विक्रय के लिये किसी अन्तिम डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियां, जिसमें वाद-ऋणी या प्रतिवादी लघु कृषक हो, वाद-ऋणी या प्रतिवादी द्वारा आवेदन करने पर उसके विरुद्ध उक्त दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये स्थगित कर दी जायेगी।

(3) {***}² उपधारा (2) के अधीन स्थगित डिक्री के निष्पादन में खड़ी फसल, कृषि उत्पादन, पशुधन और शीघ्र नष्ट होने वाली अन्य जंगम सम्पत्ति की सभी कुर्की प्रत्याहृत हो जायगी।

11— (1) किसी ऋण के संबंध में किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में इस अधिनियम के प्रारम्भ से सिविल कारागार में निरुद्ध प्रत्येक लघु कृषक छोड़ दिया जायगा।

निरोध से निर्मुक्ति

(2) कोई लघु कृषक किसी भी स्थिति में, किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि तक गिरफ्तार या सिविल न्यायालय में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा निरसित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

{धारा

12,—17}

12— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 10 या धारा 11 में निर्दिष्ट एक वर्ष अवधि की

स्थगन अवधि बढ़ाने

को [दो वर्ष से अनधिक]¹ अवधि के लिये अग्रतर बढ़ा सकती है। शक्ति

राज्य सरकार की

13— धारा 9 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लघु कृषक पर उसी प्रकार लागू लघु

कतिपय उपबन्ध

होंगे, जिस प्रकार वे ऋणी पर लागू होते हैं। होंगे

कृषकों पर लागू

14— किसी लघु कृषक द्वारा, जिसके विरुद्ध निष्पादन की कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन या धारा 36 की उपधारा (1) के द्वारा निरसित अधिनियमितियों में किसी के अधीन

कतिपय अन्तरण शून्यकरणीय होंगे

स्थगित कर दी गई है, {10 अक्टूबर, 1975 को या उसके पश्चात् किया गया स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण}² उस लेनदार के, जिसका दावा ऐसे लघु कृषक के विरुद्ध विफल या विलम्बित हो गया है, विकल्प से शून्यकरणीय होगा।

15— किसी ऋण की वसूली के लिए किसी वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाही अपवर्जन

परिसीमा अवधि का

के लिए (जिसमें ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही में दी गई डिक्री के निष्पादन के लिये कोई आवेदन-पत्र भी सम्मिलित है) परिसीमा अवधि की गणना करने में उस अवधि का, जिसमें इस अध्याय के अधीन ऐसी कार्यवाही वर्जित या स्थगित की गई हो, अपवर्जन किया जायगा।

अध्याय — चार

लघु कृषकों के ऋण की मात्रा को घटाना

16— राज्य सरकार, लघु कृषकों और उनके लेनदारों के बीच ऋण के परिशोधन के अधिकारियों

ऋण परिशोधन

प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऋण परिशोधन अधिकारी नियुक्त कर सकती है और इसी प्रकार वह क्षेत्र निर्धारित कर सकती है, जिसमें वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

की नियुक्ति

17— (1) लघु कृषक, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से {दो वर्ष}³की अवधि के करने

ऋण का अवधारण

भीतर उस क्षेत्र के, जिसमें ऐसा कृषक निवास करता है या उसकी कोई भूमि है, ऋण आवेदन-पत्र

के लिये

परिशोधन अधिकारी को अपने ऋण के अवधारण के लिये आवेदन कर सकता है।

(2) जब तक लघु कृषक ने पहले से ही उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र न दिया हो, उसके लेनदारों में से कोई उसी रीति से उस प्राधिकारी को, जिसको और जिस रीति से, लघु कृषक ने उस उपधारा के अधीन प्रश्नास्पद ऋण के अवधारण के लिये आवेदन-पत्र दिया होता, आवेदन-पत्र दे सकता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर और सत्यापन आवेदक द्वारा वाद-पत्रों पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति से किया जायगा :

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}

{धारा 18-20}

परन्तु उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र की स्थिति में विषय वस्तु का सत्यापन करने के लिये लेनदार केवल वहां तक बाध्य होगा, जहां तक वह उससे अवगत हो।

(4) यदि एक ही ऋण के सम्बन्ध में एक से अधिक प्राधिकारी को आवेदन-पत्र दिये जायं, तो ऐसे आवेदन-पत्र, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायं, एक ही प्राधिकारी को अन्तरित कर दिये जायेंगे और उसी के द्वारा उन पर कार्यवाही की जायगी।

18— धारा 17 के अधीन लघु कृषक द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक आवेदन-पत्र में दिया जाने

आवेदन-पत्र में

निम्नलिखित ब्यौरा दिया जायगा; अर्थात्—

वाला ब्यौरा

(क) लघु कृषक का नाम और वह स्थान, जो वह निवास करता है या उसकी भूमि है;

(ख) लेनदार का नाम और पता;

(ग) लघु कृषक द्वारा प्रत्येक लेनदार को देय सभी ऋणों का ब्यौरा;

(घ) लघु कृषक की समस्त सम्पत्ति का ब्यौरा, साथ ही साथ ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य और वह या वे स्थान जहां पर ऐसी सम्पत्ति हो;

{(ङ) लघु कृषक की वार्षिक पारिवारिक आय का ब्यौरा;

(च) धारा 20 में निर्दिष्ट वर्ष के लिए कृषि उपज का स्थूल मूल्य।}

19— (1) धारा 17 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ऋण परिशोधन अधिकारी,

ऋण का अवधारण

सम्बद्ध पक्षों को उपस्थित होने और सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् प्रश्नास्पद ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक [धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से]² ब्याज का अवधारण करेगा।

(2) ऋण परिशोधन अधिकारी का उपधारा (1) के अधीन ऋण की धनराशि अवधारण करने वाला प्रत्येक विनिश्चय, धारा 23 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(3) इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही में ऋण परिशोधन अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वैसी होगी जैसी विहित की जाय।

20— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या किसी संविदा, डिक्री या अन्य लिखत में अधिकतम किसी बात के होते हुए भी, किसी लघु कृषक के ऋण को [जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है]³ लघु कृषक का दायित्व चुकाने का दायित्व, जिस वर्ष में धारा 17 के अधीन आवेदन-पत्र दिया जाय उसके पूर्ववर्ती वर्ष में, कृषि उपज के स्थूल मूल्य के बीस प्रतिशत के सात गुने से अधिक नहीं होगा और ऐसा दायित्व, धारा 19 के अधीन उसके निर्धारण के दिनांक से संगणित सात वर्षों की अवधि में प्रसारित होगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977} {धारा 21-24}

21— [(1)]¹ प्रत्येक ऋण, जितना वह धारा 19 के अधीन अवधारित लघु कृषक द्वारा देय धनराशि से अधिक है, ऐसे अवधारण के दिनांक से चुकता हो जायगा और उसकी वसूली होना नहीं की जायगी।

ऋण की अतिरिक्त धनराशि का चुकता

[(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को किसी लघु कृषक द्वारा देय प्रत्येक ऋण, जिसके सम्बन्ध में धारा 17 के अधीन कोई आवेदन-पत्र न दिया जाय, उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर और धारा 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चुकता हो जायगा और उसकी वसूली नहीं की जायगी।]¹

22— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, —
रोक

कतिपय वादों पर

(क) कोई सिविल या राजस्व न्यायालय किसी ऋण के सम्बन्ध में, जिस पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, लघु कृषक के विरुद्ध वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक ऐसा वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही उपशमित हो जायगी;

(ग) उस ऋण के सम्बन्ध में, जिस पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, सिविल न्यायालय की कोई डिक्री निष्पादित नहीं होगी।

23— (1) धारा 19 के अधीन ऋण अवधारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, अपील अधिकारी को अपील कर सकता है।

अपील

(2) ऐसी अपील के सम्बन्ध में देय फीस और अपील अधिकारी द्वारा अनुसरण की जान वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(3) अपील अधिकारी, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि या उसका उपान्तरण कर सकता है या ऋण परिशोधन अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, जैसी अपील अधिकारी उचित समझे।

(4) इस धारा के अधीन अपील अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

24— धारा 23 के अधीन अपील अधिकारी का प्रत्येक आदेश और उसके अधीन रहते और ऋण

अपील अधिकारी

हुए, लघु कृषक द्वारा देय ऋण का अवधारण करने का ऋण परिशोधन अधिकारी का प्रत्येक के
आदेश, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले मुंसिफ द्वारा इस प्रकार निष्पादित किया जायगा मानो
वह उस न्यायालय द्वारा प्रदत्त कोई डिक्री या आदेश हो।

परिशोधन अधिकारी

आदेश का निष्पादन

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 13 द्वारा पुनर्संख्याकित किया गया तथा बढ़ाया गया।
{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}
25}

{धारा

अध्याय — पांच

अपवाद

25— इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव ऋणी [या लघु कृषक]¹ के
निम्नलिखित मदों में से किसी के अधीन आने वाले किसी ऋण या अन्य दायित्व (जिसमें ब्याज
दायित्व
देने का कोई दायित्व सम्मिलित है) पर नहीं पड़ेगा; अर्थात् —

अधिनियम के
उपबन्ध

कतिपय ऋण और

पर लागू न होंगे

(क) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय
कोई ऋण (जिसमें कोई कर, उपकर या फीस भी सम्मिलित है);

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत किसी
सरकारी कम्पनी को देय कोई ऋण;

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय
जीवन बीमा निगम, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित
किसी अन्य निगम को देय कोई ऋण;

(घ) कोई ऋण, जो निम्नलिखित को देय हो—

(एक) बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी;

(दो) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक
आफ इण्डिया;

(तीन) स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में
यथापरिभाषित सब्सिडियरी बैंक;

(चार) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम,
1970 के अधीन संघटित कोई तत्सम्बन्धी नया बैंक;

(पांच) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय
सरकार द्वारा अधिसूचित बैंककारी संस्था;

(छ) ऐग्रीकल्चरल रिफाइनन्स ऐण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1963
के अधीन संघटित कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम;

(सात) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट
एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी;

(आठ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित ऐग्रीकल्चरल
फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी;

(नौ) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 के अधीन स्थापित रीजनल रूरल
बैंक; और

(दस) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक के
रूप में अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977}
25}

{धारा

(ड) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी गयी किसी सहकारी समिति को, जिसमें कोई भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित है, देय होई ऋण;

(च) ऋणी या लघु कृषक को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के, जिसमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है, सम्बन्ध में देय कोई किराया;

(छ) न्यास-भंग से उद्भूत कोई दायित्व या कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व;

(ज) की गयी सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्य प्रकार से देय मजदूरी या पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;

(झ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन हो या अन्यथा;

(ञ) कोई ऋण, जो किसी ऋणी या लघु कृषक द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति के चाहे जंगम हो या स्थावर, मूल्य या भाटक क्रय करार के अधीन देय किसी धनराशि के बारे में हो;

(ट) किसी व्यक्ति द्वारा ऋणी या लघु कृषक को बाद में बेचे जाने वाले किसी माल या सम्पत्ति के मूल्य के रूप में दिया गया कोई अग्रिम;

(ठ) किसी व्यक्ति द्वारा सेवा-संविदा के अनुसार किसी ऋणी या लघु कृषक को उसकी प्रेरणा पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिये दिया गया मजदूरी का कोई अग्रिम, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में या अंशतः नकद और अंशतः वस्तु के रूप में हो;

परन्तु तय की गई मजदूरी की दर विधि द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम न हो;

(ड) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29-क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर;

(ढ) ऋणी {या लघु कृषक}¹ को उसके सेवायोजक द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये यथा उत्सव, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह या अंत्येष्टि क्रिया सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई ऋण या अग्रिम ;

(ण) भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किये जाने योग्य कोई राशि;

{(त) किसी चिट फण्ड योजना के अधीन संचालित चिट के अधीन उपगत या उत्पन्न प्रत्येक दायित्व;

(थ) किसी विधवा को देय प्रत्येक ऋण;

(द) प्रत्येक मेहर का ऋण;

(ध) सेवा संविदा का उल्लंघन करने से उत्पन्न प्रत्येक ऋण।²

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 15(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 15 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977} {धारा 26-27}

अध्या

य छः

प्रकीर्ण

26— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्—

शास्ति

(क) इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किसी ऋणी या लघु कृषक से कोई ऋण या उसका भाग, जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, वसूल करता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष साशय कोई मिथ्या अधिकथन करता है, या

(ग) किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष साशय कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है; या

(घ) किसी ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है,

सिद्ध-दोष होने पर, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र प्रस्तुत करने में या उक्त धारा के अधीन दिये गये आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है या अन्य प्रकार से उक्त धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो 5,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध पर सरसरी तौर पर विचार किया जायगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्ध यथाशक्य, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

27— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया अपराध

कम्पनियों द्वारा

हो तो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिये उसका प्रभारी और कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति और कम्पनी भी अपराध का अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी और से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, “निदेश” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

{उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977} {धारा 28-33}

28— किसी वाद या कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि ऋणी {या लघु का भार कृषक}¹ इस अधिनियम के अधीन संरक्षण का हकदार नहीं है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लेनदार पर होगा।

सबूत

29— (1) कोई तहसीलदार या ऋण परिशोधन अधिकारी या कोई अपील अधिकारी शक्ति

अधिकारियों की

पक्षों और साक्षियों को बुलाने और उनका परीक्षण करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने {और मामलों के समेकन}² से सम्बन्धित उन समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा किसी सिविल न्यायालय को प्रदत्त है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

30— यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह प्रश्न उठे कि कोई ऋण अन्तिम होना

विनिश्चय का

या दायित्व ऋण है या नहीं या कि कोई व्यक्ति ऋणी या लघु कृषक है, या नहीं तो, यथास्थिति, तहसीलदार या ऋण परिशोधन अधिकारी का विनिश्चय, धारा 8 या धारा 23

के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

31— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सिविल न्यायालय—

सिविल न्यायालय की अधिकारिता

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रिया की विधिमान्यता या इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता पर आपत्ति करने वाला कोई वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही,

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले व्यादेश के लिये कोई वाद, या आवेदन-पत्र,

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से कोई अपील या पुनरीक्षण ग्रहण नहीं करेगा।

32— इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का कोई पक्ष किसी विधि व्यवसायी के

[विधि व्यवसायियों

द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार न होगा।
प्रतिषेध]३

उपस्थिति होने पर

स्पष्टीकरण— इस धारा में पद “विधि व्यवसायी” का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 में उसके लिए दिया गया है।

33— परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 और 12 के उपबन्ध इस अधिनियम के का

परिसीमा अधिनियम

अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

लागू होना

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1979 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम 1977]

[धारा 34-36]

34— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न की

कठिनाई दूर करने

हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन्हें वह कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।

शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं जारी किया जायगा।

35— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित शक्ति

नियम बनाने की

करने के लिये नियम बना सकती है।

36— (1) उत्तर प्रदेश भूमि-हीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, 1975, उत्तर अपवाद

निरसन तथा

प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, 1975 और उत्तर प्रदेश सं0 12,

उ0प्र0 अधिनियम

ऋण अनुतोष (द्वितीय) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

1975

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी।

THE UTTAR PRADESH DEBT RELIEF ACT, 1977¹

[U. P. ACT No. 4 OF 1977]

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Rin
Anutosh Adhiniyam, 1977.]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 13, 1977 and by
the Uttar Pradesh Legislative Council on July 15, 1977.]

Received the assent of the President on July 23, 1977 under Article 201, of 'the Constitution of India', and was published in Part I clause (a) or the Legislative Supplement of the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated July 23, 1977]

A
N

A
C
T

Provide relief indebtedness to landless agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers, small farmers and urban workers.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

Preliminary

- | | |
|--|---|
| Short title,
extent and
commencement
Pradesh. | 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on February 21, 1977. |
| Definitions | 2. In this Act-

(1) "annual household income", in relation to a debtor or a small farmer, means the aggregate of the annual income from all sources of all the members of his family, for the year 1976 ;

(2) "appellate officer" means an officer appointed by the State Government for the purposes of hearing appeals under this Act ;

(3) "Civil Court" includes-

(a) any court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920 ;

(b) a Nyaya Panchayat established under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 ;

(c) a court exercising powers under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887;

(4) "creditor" means a person from or in respect of whom a debtor or a small farmer has borrowed or incurred a debt, and includes the heirs of such person, [heir or assignee] ² of such person ;

2.Insertion by section 2 of U.P. Act No. 2 (a) of 1979. |

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]
2]

[Section

- (5) "debt" includes all liabilities owing to a creditor in cash or kind, secured or unsecured, payable by a debtor or a small farmer under a decree or order of a civil court or otherwise, and subsisting on the date of commencement of this Act, whether due or not ;
- (6) "debtor" means a landless agricultural labourer, a marginal farmer, a rural artisan or an urban worker who owes a debt, but does not include a small farmer;

(7) "family", in relation to a debtor, means the debtor, the wife or husband, as the case may be, of such debtor and the unmarried minor children of either or both of them ;

(8) "landless agricultural labourer" means a person, [residing in a village]¹ who on the date of commencement of this Act, does not hold any land and whose principal means of livelihood is manual labour on agricultural land, and includes a person who follows anyone or more of the following occupations in the capacity of a labourer on wages, whether paid in cash or in kind or partly in cash and partly in kind, namely-

(a) farming, including cultivation and tillage of soil ;

(b) dairy farming ;

(c) production, cultivation, growing and harvesting of any horticultural commodity ;

(d) raising of livestock, bees or poultry ; and

(e) any practice performed on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations (including any forestry or timbering operations) and preparation for market and delivery to a cold storage or other warehouse or to market or to carriage for transportation of farm products;

(9) "marginal farmer" means a person residing in a village who on the date of commencement of this Act, holds agricultural land not exceeding one hectare of unirrigated land and whose principal means of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on such land, and includes a person cultivating land as an asami or as a share-cropper ;

(10) "rural artisan" means a person residing in a village who on the date of commencement of this Act, does not hold any agricultural land, and whose principal source of livelihood is manual labour connected with --

(a) the production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto; or

(b) the practice of any other craft either by own labour or by labour of the members of his family;

1. Insertion by section 2 (b) of U.P. Act No. 2 of 1979.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]
2-3]

[Section

(11) "small farmer" means a person residing in a village who, on the date of commencement of this Act, holds unirrigated land exceeding one hectare but not exceeding two hectares, and whose principal source of livelihood is income from agricultural and or by manual labour on, such land and Includes a person cultivating land as an asami or as a share-cropper ;

(12) "urban worker" means a person,--

(a) who does not reside in a villager and

(b) whose family on the date of commencement of this Act, does not hold any immovable property ; and

(c) whose principal source of livelihood is manual labour (including the practice of any craft) either by himself or by the members of his family; and includes a rickshaw puller or scavenger, but does not include a person who--

(i) has in both the financial years ending on March 31, 1975 and March 31, 1976 been assessed to income tax under the Income Tax Act, 1961; or -

(ii) has in both financial years ending on March 31, 1975 and March 31, 1976 been assessed to sales tax under the U. P. Sales Tax Act, 1948 or under the Central Sales Tax Act, 1956 ;

(13) "village" shall have the meaning assigned to it in clause (25) of section 3 of the Uttar Pradesh, Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

Explanation I-- for the purposes of clause (7) 'minor' means a person who has not completed his or her age of eighteen years.

Explanation II-- for the purposes of clauses (9) and (11), one hectare of irrigated land shall be equated to two hectares of unirrigated land.

Explanation III-- The expressions "irrigated land" and "unirrigated land" shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

[Explanation IV-- Where a person has transferred any property before the commencement of this Act and any proceeding for the annulment of such transfer under the Provincial Insolvency Act, 1920 is pending on the date of such commencement, then the question whether the transferor is a marginal farmer or a small farmer shall be determined only after considering the final orders made in such proceedings.]¹

Declarations 3. It is hereby declared that the provisions of this Act are for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (b) and (c) of Article 39 of the Constitution.

1. Added by section 2 (c) of U.P. Act No. 2 of 1979.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

CHAPTER II

Relief to debtors

Discharge of debts 4. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, decree or other instrument having force by virtue of any such law and save as otherwise expressly provided in this Act--

(a) every debt, together with any interest, payable on the date of commencement of this Act, by a debtor whose annual household income does not exceed two thousand and four hundred rupees shall with effect from the date of such commencement be deemed to be wholly discharged;

[(b) every debt payable on the date of such commencement by a debtor whose annual household income exceeds two thousand and four hundred rupees shall be wholly discharged, if the debtor--

(i) has paid, in the discharge of his debt, a sum exceeding or equivalent to double the amount of principal in respect of the debt, at any time before such commencement, and such discharge shall be effective from the date of such commencement;

(ii) pays after the date of such commencement, a sum which, together with any sum already paid in the discharge of such debt, is equivalent to or exceeds double the amount of principal in respect of the debt, or the amount actually due whichever is less, and such discharge shall be effective from the date of such payment.]¹

Consequence
discharge

5. Where any debt payable by a debtor has been discharged under section 4, then of notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or of debt in any contract, decree or other instrument, the following consequences shall, with effect from the date of such discharge, ensue; namely--

(a) no such debt shall be recoverable from a debtor or from or against any of his movable or immovable property, nor shall any such property be liable to be attached and sold or proceeded against in any manner in the execution of any decree or order relating to such debt;

(b) no civil court shall entertain any suit or proceeding against such debtor for the recovery of any debt including interest, if any :

[Provided that –

(i) where a suit or proceeding is instituted jointly against such debtor and any other person, nothing in this clause shall apply to the maintainability of the suit or proceeding in so far as it relates to such other person;

1. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 2 of 1979.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977] [Section 6]

(ii) where a suit is instituted against a debtor jointly in respect of a debt advanced before as well as after the commencement of this Act, nothing in this clause shall apply to the maintainability of the suit in respect of the debt advanced after such commencement;]¹

(c) all suits and proceedings, including appeals, revisions, attachment or execution proceedings, pending on the date of commencement of this Act, for the recovery of any such debt against such debtor shall abate :

Provided that nothing in this clause shall apply to the sale of --

(i) any movable property, held and concluded before such commencement; or

(ii) any immovable property, confirmed before such commencement;

[Provided further that the proviso to clause (b), shall *mutatis mutandis* apply to a suit or proceeding referred to in this clause as it applies to a suit or proceeding specified in that clause;]²

(d) every debtor undergoing detention in a civil prison in execution of any decree passed in respect of any such debt shall be released forthwith;

(e) every movable property pledged by a debtor shall stand released in his favour and the creditor shall, [***]³ if be bound to return the same to the debtor.

[(f) every mortgage of immovable property executed by a debtor shall stand redeemed and the mortgaged property shall be released in favour of the debtor.]⁴

Creditors of
period as file statement
over the area etc.
such

6. (1) Every creditor referred to in clause (e) of section 5 shall, within such may be prescribed, furnish to the Tahsildar having jurisdiction where such creditor has his ordinary place of business, a statement in form as may be prescribed containing the names of all the persons who have pledged movable property with him, the nature and description of such property, the amount advanced and due as on the commencement of this Act, the rate of interest and such other particulars as may be prescribed.

- (2) A debtor referred to in clause (e) of section 5 may also make an application to the Tahsildar having jurisdiction over the area where his creditor has his ordinary place of business for an order for the return of the movable property pledged by the debtor.

1. Substituted by section 4(a) of U.P. Act No. 2 of 1979.

2. Substituted by section

4(b) *ibid.*

3. Omitted by section 4(c)

ibid.

4. Added by section 4(d)

ibid.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

[Section

6]

- (3) On receipt of a statement under sub-section (1), or an application under, sub-section (2), and after such inquiry conducted In the manner prescribed, the Tahsildar shall by order, determine--

(i) where a statement has been furnished by the creditor under sub-section (1), which of the persons who have pledged movable property with him are entitled to relief under section 5; and

(ii) where an application has been made by the debtor under sub-section (2), whether the debtor is entitled to relief under section 5;

and direct the creditor to produce, on or before the date specified in the order, the movable property pledged by such debtor.

- (4) Where the movable property pledged by the debtor is in the possession of any transferee of the creditor, the creditor shall redeem the said property from such transferee and produce it on or before the date specified in the order referred to in sub-section (3).

- (5) If the creditor fails to produce the movable property as directed in the order under sub-section (3) ---

(a) the Tahsildar may enter any premises of the creditor or of the transferee of the creditor other than a bank referred to in clause (d) or clause (e) of section 25, and search and seize the said property; and

(b) where the movable property is in the possession of any of the banks referred to in clause (d) or clause (e) of section 25, the Tahsildar shall-

(i) by an order, direct the said bank to deposit, on or before the date specified in the order, the movable property with the Tahsildar together with a statement specifying the amount due to the said institution in respect of the said property and simultaneously issue a certificate to the said bank to the effect that the amount due to the said bank in respect of the said property shall be recovered from the creditor as if it were an arrear of land revenue and paid to the said bank; and

(ii) on the said bank depositing the said property with the Tasildar, acknowledge in writing the receipt of the movable property and proceed to recover from the creditor such amount as is due to the said bank in respect of the said property as if it were an arrear of land revenue, and on such recovery, pay the same to the said bank.

- (6) After such prod action or recovery or deposit of the movable property pledged, the Tahsildar shall deliver the said property to the debtor.

- (7) Pending determination of the question under sub-section (3), no creditor or the transferee of the creditor shall sell or pledge or otherwise dispose of any movable property pledged by the debtor.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

[Section 6A-

7]

- (8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5) or in any other law for the time being in force, the Tahsildar-

- (a) may enter any premises of the creditor or of the transferee of the creditor other than a bank referred to in clause (d) or clause (e) of section 25 and search and seize the movable property pledged by debtors and arrange for their safe custody;
- (b) shall proceed to determine which of the movable properties so seized are to be released to the debtors and pass orders accordingly.

- (9) The provisions of sections 100 and 165 of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under sub-sections (5) and (8).

[Release of 6-A (1) A debtor referred to in clause (f) section 5 may make an application to the immovable Debt settlement Officer having jurisdiction over the area within which such property a debtor ordinarily resides, for an order releasing the mortgaged property and certificate for the grant of a certificate of redemption.

- (2) (a) On receipt of such application and after inquiry conducted in the manner prescribed, the Debt Settlement Officer shall pass an order releasing the mortgaged property, and grant a certificate of redemption in the prescribed form which shall be admissible as evidence or such redemption in any proceeding before any court or other authority.

(b) The Debt Settlement Officer shall also direct the creditor or the transferee of the creditor—

(i) to deliver possession of the mortgaged property to the debtor on or before the date, specified in the order, if the debtor is not already in possession of the mortgaged property; and

(ii) to produce on or before the date specified in the order, the mortgage deed or other document and the Debt Settlement Officer shall make an endorsement of redemption of the mortgage deed or other document.

- (3) Pending orders under sub-section (2), no creditor or the transferee of the creditor shall transfer or otherwise assign his interest in, or exercise his right of foreclosure in respect of the property mortgaged by the debtor.

- (4) Where the mortgaged property has been transferred or any right therein has been assigned to any bank by the creditor, the Debt Settlement Officer shall recover from the creditor such amount as is due to such bank in respect of the said mortgaged property, as if, it were an arrear of land revenue, and shall pay the same to the said bank.]¹

Finality of Tahsildar's order 7. Every order of the Tahsildar under section 6 shall, subject to appeal under section 8, be final and shall not be called in question in any court.

1.Added by section 5 of U.P. Act No. 2 of 1979.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977] [Section 8-11]

Appeal against 8. (1) Any person aggrieved by an order made by the Tahsildar under section 6 [or Tahsildar's by the debt Settlement Officer under section 6-A]¹ may, within such period

order and in such manner as may be prescribed, prefer an appeal to the appellate officer.

- (2) In deciding the appeal, the appellate officer shall follow such procedure as may be prescribed and the decision of such officer on such appeal shall be final and shall not be called in question in any court.
- Special 9. (1) No interest shall accrue in respect of any debt payable by a debtor, after the provisions commencement regarding interest.
- (2) The interest payable on any debt for any period before such shall be calculated at the rate applicable to the debt under the law, custom or contract, or at a rate of six per cent, per annum, whichever is less, and credit shall be given for all sums paid or credited first towards interest and the balance, if any, towards the principal.

CHAPTER III

Moratorium on debts recoverable from small farmers

- Stay of 10. (1) No suit for recovery of any debt on part thereof including interest thereon due recovery of from a small farmer on the date of commencement of this Act shall be certain debt instituted against him and every suit for such relief already pending shall remain stayed for a period of one year from the date of such commencement.
- (2) All proceedings in execution of any decree for money or proceedings for making final any preliminary decree for foreclosure or sale, or proceedings in execution of any final decree for sale passed by a civil court on the basis of a liability incurred before the date of such commencement in which the judgment debtor or defendant is a small farmer shall be stayed against judgment debtor or defendant on an application made by him for a period of one year from the said date.
- (3) All attachments of growing crops, agricultural produce, live-stock and other movable property of a perishable nature, made in execution of decree stayed under [***]² sub-section (2), shall stand withdrawn.
- Release from 11. (1) Every small farmer undergoing detention in a civil prison in execution of any detention decree or order in respect of a debt shall be released.
- (2) No small farmer shall in any case be liable to arrest or detention in civil prison in execution of any such decree for a period of one year from the commencement of this Act.

1.Substituted by section 6 of U.P. Act No. 2 of 1979.

2.Omitted by section 7 *ibid*.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

[Section 12-17]

Power of State 12. The State Government may by notification extend the period of one year Government to referred to in section 10 or section 11 by a further period [not exceeding two extend the year]¹. period of stay.

Certain 13. The provisions of section 9 shall *mutatis mutandis* apply to a small farmer as provisions to they apply to a debtor. apply to small farmers.

Certain 14. [Every transfer of immovable property made on or after October 10, 1975 by transfer to be a small farmer]² against whom proceedings in execution have been stayed voidable. under this Act or under any of the enactments repealed by sub-section (1) of section 36 shall be voidable at the option of the creditor whose claim against

such, small farmer is defeated or delayed.

Exclusion 15. In computing the period of limitation for any suit, appeal, application or other of period of proceeding for the recovery of a debt (including an application for the limitation. execution of a decree passed in such suit, appeal or proceeding), the period during which such proceedings remained barred or stayed under this Chapter shall be excluded.

CHAPTER IV

Scaling down of debts of small farmers

Appointment 16. The State Government may for the purposes of settlement of debt between the of debt small farmers and their creditors, by notification, appoint Debt Settlement settlement Officers and may like-wise define the areas within which they shall exercise officers. jurisdiction.

Application 17. (1) A small farmer may, within a period of [two years]³ from the date of for determina- commencement of this Act apply to the Debt Settlement Officer for the area is tion of debt. which such farmer resides or holds any land for determination of his debts.

(2) Unless the small farmer has already made an application under sub-section (1), any of his creditors may like-wise make an application to the same authority to which, and in the manner in which, the small farmer might have applied under that sub-section for the determination of the debt in question.

(3) Every application under this section shall be signed and verified by the applicant in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908, for signing and verification of plaints :

1. Substituted by section 8 of U.P. Act No. 2 of 1979.
2. Substituted by section 9 ibid.
3. Substituted by section 10 ibid.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]
20]

[Section 18-

Provided that in the case of an application under sub-section (2), the creditor shall be bound to verify the contents only in so far as they are known to him.

(4) If applications are made to more than one authority in respect of the same debt, such application shall, subject to such rules as may be made in this behalf, be transferred to and dealt with by one authority.

Particulars to 18. Every application presented by a small farmer under section 17 shall contain be stated in the following particulars; namely -- application.

(a) the name of the small farmer and the place where he resides or holds land;

(b) the name and address of the creditor;

(c) the particulars of all debts payable by a small farmer to each creditor.

(d) the particulars of all properties of the small farmer together with the approximate value of such property and the place or places at which they are to be found;

[(e) the particulars of the annual household income of the small farmer;

(f) the gross value of the agricultural produce for the year referred to in section 20.]¹

Determination 19.
Officer of debt.
be
principal
section

- (1) On receipt of the application under section 17, the Debt Settlement shall, after giving an opportunity to the parties concerned to appear and heard, determine in respect of the debt in question the amount of the and the amount of interest [at the rate specified in sub-section (2) of 9]² up to the date of commencement of this Act.
- (2) Every decision of the Debt Settlement Officer determining the amount of debt under sub-section (1) shall, subject to the result of an appeal under section 23, be final and shall not be called in question in any civil court.
- (3) The procedure to be followed by the Debt Settlement Officer in any proceeding under this Chapter shall be such as may be prescribed.

Maximum 20.
of a
small small farmer.
twenty per cent
in
such
the

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in liability of force, or in any contract, decree, or other instrument, the liability of a farmer to repay any debt [including]³ interest shall not exceed of the gross value of agricultural produce, for the year preceding the year which the application under section 17 is made multiplied by seven and liability shall be spread over a period of seven years to be reckoned from date of its determination under section 19.

1. Substituted by section 11 of U.P. Act No. 2 of 1979.
2. Substituted by section 12 *ibid*.
3. Substituted by section 13 *ibid*.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]
24]

[Section 21-

Excess amount 21.
debt to be
discharged.

- [(1)]¹ Every debt in excess of the amount determined under section 19 to be of payable by a small farmer shall with effect from the date of such determination stand discharged and shall not be recoverable.
- [(2) Every debt payable by a small farmer on the date of commencement of this Act in respect of which no application is made under section 17 shall, on the expiry of the period referred to in sub-section (1) of hat section and subject to the provisions of section 33, stand discharged and shall not be recoverable.]¹

Bar to certain 22.
force-- suits.

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in

(a) no civil or revenue court shall entertain a suit, application or proceeding against a small farmer in respect of any debt to which the provisions of this Chapter apply;

(b) every such suit, application or proceeding pending before any such court on the date of commencement of this Act shall abate ;

(c) no decree of a civil court in relation to the debt to which the provisions of this Chapter apply shall be executed.

Appeal 23.

- (1) Any person aggrieved by an order determining the debt under section 19 may, within thirty days from the date of such determination, prefer an appeal in the prescribed manner to the appellate officer.
- (2) The procedure to be followed by an appellate officer and the fees payable in respect of such appeal shall be such as may be prescribed.
- (3) The appellate officer may, after giving me parties an opportunity of being heard either confirm or modify the order appealed against or direct the Debt Settlement Officer to take such action as the appellate officer thinks fit.

(4) Every order made by the appellate officer under this section shall be final and shall not be called in question in any court.

Execution of 24. Every order of the appellate officer under section 23, and subject thereto, order of appeal every order of the Debt Settlement Officer determining a debt payable by a late officer and small farmer shall be executed by the Munsif having territorial jurisdiction as the Debt if it were a decree or order passed by that court.

Settl
eme
nt
offic
er

1. Re-numbered and added by section 13 of U.P. Act No. 2 of 1979.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

CHAPTER V

Exemptions

Provisions of 25. Nothing in this Act shall affect any debt or other liabilities (including any the Act not to liability to pay interest) of a debtor [or the small farmer]¹ falling under any of apply to the following heads; namely - certain debts or liabilities.

- (a) any debt (including any tax, cess or fee) due to the Central Government, any State Government or a local authority
- (b) any debt due to a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 ;
- (c) any debt due to the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956, or any other corporations established by or under any law for the time being in force ;
- (d) any; debt due to---
 - (i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;
 - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;
 - (iii) a subsidiary bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 ;
 - (iv) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
 - (v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949;
 - (vi) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 ;
 - (vii) the U. P. State Agro-Industrial Corporation Ltd., a company incorporated under the Companies Act, 1956 ;
 - (viii) the Agricultural Finance Corporation Ltd., a corporation incorporated under the Companies Act, 1956;
 - (ix) a Regional Rural Bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976; and

(x) any other financial institutions notified by the State Government as a bank for the purposes of this Act :

1. Substituted by section 14 of U.P. Act No. 2 of 1979.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]
25]

[Section

(e) any debt due to a co-operative society including a land development bank registered or deemed to be registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 ;

(f) any rent due in respect of any property including agricultural land let out to a debtor or a small farmer ;

(g) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;

(h) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered ;

(i) any liability in respect of maintenance whether under a decree of civil court or otherwise;

(j) any debt which represents the price of property whether movable or immovable purchased by a debtor or a small farmer or any amount due under a hire-purchase agreement ;

(k) any advance of money given to the debtor or a small farmer by a person as the price of goods or property to be sold later on ;

(l) any advance of wages whether in cash or in kind, or partly in cash or partly in kind, made to a debtor or a small farmer at his instance by a person in pursuance of a contract of service for a specified period :

Provided that the rate of wages settled is not less than the minimum rate of wages fixed by law ;

(m) any compensation payable on account of partition or division of property or any compensation referred to in section 29-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 ;

(n) any advance of loan given to a debtor [or the small farmer]¹ by his employer for any specific purpose, such as, for festival, medical treatment, meeting any educational, marriage or funeral expenses and the like;

(o) any sum recoverable as arrears of land revenue.

[(p) every liability incurred or arising under a chit conducted under any chit fund scheme;

(q) every debt due to a widow;

(r) every dower debt;

(s) every debt arising out of breach of contract of service.]²

1. Substituted by section 15(a) of U.P. Act No. 2 of 1979.

2. Substituted by section 15(b) ibid.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

CHAPTER VI

Miscellaneous

Penalty 26. (1) Every person who, after the date of commencement of this Act-

(a) recovers any debt or part thereof including interest from a debtor or a small farmer in contravention of the provision of this Act; or

(b) intentionally makes any false statement before any officer or authority in proceedings under this Act; or

(c) intentionally produces, before any officer or authority any false document ; or

(d) abets any such act,

shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(2) Every person who fails to furnish the statement referred to in sub-section (1) of section 6, or to comply with the order made or direction given under the said section or otherwise contravenes the provisions of the said section shall be liable to imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to Rs. 5,000 or with both.

(3) Every offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) shall be cognizable,

(4) Every offence punishable under sub-section (1) shall be tried in a summary way and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, as far as may be, apply to such trial.

Offence by 27. company (1) Where an offence under this Act has been committed by a every person, who at the time the offence was committed was in companies charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the Commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Explanation-- For the purpose of this section-

(a) 'company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) 'Director' in relation to a firm means a partner in the firm.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

[Section 28-33]

Burden of 28. In any suit or proceeding, the burden of proving that the debtor [or the small proof. farmer]¹ is not entitled to the protection of this Act shall, notwithstanding

anything contained in any law for the time being in force, lie on the creditor.

Powers of 29. (1) A Tahsildar or a Debt Settlement Officer or an Appellate Officer may exercise Officers. all such powers connected with the summoning and examining of parties and witnesses and with the production of documents [and consolidation of cases]² as are conferred on a civil court by the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) Every proceeding before an officer referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a judicial proceeding for purposes of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

Finality 30. If any question arises in any proceeding under this Act whether a loan or of decisions. liability is a debt or not or whether a person is a debtor or a small farmer or not, the decision of the Tahsildar or the Debt Settlement Officer, as the case may be, shall, subject to the result of an appeal under section 8 or section 23, be final, and shall not be called in question in any court.

Jurisdiction of 31. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no civil court. civil court shall entertain-

(a) any suit, application or proceeding to question the validity of any procedure or the legality of any order passed under this Act;

(b) any suit or application for injunction affecting any proceedings under this Act;

(c) any appeal or revision otherwise than in accordance with the provisions of this Act.

[prohibition of 32. No party to any proceeding under this Act shall be entitled to be represented appearance of by a legal practitioner. legal practitioners]

Explanation-- In this section the expression 'legal practitioner' shall have the meaning assigned to it in section 2 of the Advocates Act, 1961.

Application of 33. The provisions of sections 4, 5 and 12 of the Limitation Act, 1963, shall apply Limitation to the proceedings under this Act. Act.

1. Substituted by section 16 of U.P. Act No. 2 of 1979.
2. Substituted by section 17 ibid.
3. Substituted by section 18 ibid.

[The Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977]

[Section 34-36]

Power to 34. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State remove Government may, by notified order, make such provision or give such difficulty direction not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be issued after two years from the date of commencement of this Act.

Power to make 35. The State Government may, by notification, make rules for carrying the rules purposes of this Act.

Repeal and 36. (1) The Uttar Pradesh Landless Agricultural Labourers Debt Relief Act, 1975, the savings Uttar Pradesh Rural Weaker Sections (Moratorium on Recovery of Debts) U.P Act no 12 Act, 1975, and the Uttar Pradesh Debt Relief (Second) Ordinance, 1977, are of 1975 hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the enactments repealed by sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act.